भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2062

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

सतलुज और ब्यास नदियों पर पंजाब के अधिकार

2062. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेरः

श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड (बीबीएमबी) में प्रस्तावित संशोधन की जानकारी है, जो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को समान सदस्यता प्रदान करके पंजाब का प्रतिनिधित्व कम कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि पंजाब को योजना और संचालन में अपने उचित अधिकार से वंचित होना पड़ेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह देखते हुए कि ये जल पंजाब से होकर बहता है और बोर्ड के निर्णयों से राज्य लगातार नुकसान में है, केन्द्र सरकार सतलुज और ब्यास नदियों पर पंजाब के नदी जल संबंधी अधिकारों की रक्षा करना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार यह मानती है कि पंजाब के अधिकारियों की अनुपस्थिति तथा निर्णय लेने की शक्ति में कमी के कारण पंजाब को रिकॉर्ड बाढ़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बीबीएमबी में ऐसी स्थितियों को विनियमित करने, पूर्वानुमान लगाने या नियंत्रित करने के लिए पंजाब की ओर से कोई जिम्मेदार प्राधिकारी नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब के प्रमुख सदस्यों और अधिकारियों को बोर्ड से हटा दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने बीबीएमबी के पुनर्गठन या पुनर्संरचना पर विचार किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल छोड़ने और बांध संचालन से सबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों पर पंजाब का नियंत्रण बना रहे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि बोर्ड की शासी प्रणाली में इस तरह सुधार किया जाए जिससे पंजाब के हितों की रक्षा हो, भविष्य में पानी की "लूट" रुके और राज्य के जल संबंधी अधिकार सुरक्षित रहें?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (च): भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के जल का विनियमन करता है और भागीदार राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय समझौतों के अनुसार उनके बीच नदियों के जल का वितरण करता है। भागीदार राज्य भाखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की तकनीकी समिति की मासिक बैठकों (टीसीएम) में अपने-अपने राज्यों की सिंचाई और घरेलू आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हैं, जिसे उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बीबीएमबी द्वारा जलाशयों से छोड़ा जाता है। इस बैठक में भागीदार राज्यों (पंजाब, हरियाणा और राजस्थान) के मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), कृषि विभाग और बीबीएमबी के वरिष्ठ अधिकारियों आदि के विशेष आमंत्रित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बोर्ड द्वारा निर्णय सभी हितधारकों या भागीदार राज्यों (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश) और भारत सरकार की आम सहमति प्राप्त होने के बाद ही लिया जाता है और लागू किया जाता है।

जुलाई 2025 तक, पंजाब राज्य के लिए बीबीएमबी की कुल स्वीकृत संख्या में 4,918 पदों की स्वीकृत हिस्सेदारी है, जिनमें से 1,756 पद पंजाब सरकार द्वारा भरे जा चुके हैं। पारंपरिक रूप से, सदस्य (विद्युत) का पद पंजाब सरकार से भरा जाता है।

बीबीएमबी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा, बोर्ड में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जिससे पंजाब सहित बीबीएमबी के सभी भागीदार राज्यों के हितों को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सके।

*****